मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 26 अप्रेल, 2018

कमांक एफ 3(बी)– 8 /2018/पी–1/इकतीस ::: प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने उनके आदेश कमांक 3314100/4–2/2018/602, दिनांक 06.04.2018 द्वारा श्री शिरीष मिश्रा, अधीक्षण यंत्री, कार्यालय परियोजना संचालक, विश्वबैंक परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग की पदस्थापना परिवर्तित कर कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग में पदस्थ किया गया।

2. राज्य शासन एतद् द्वारा शिरीष मिश्रा, अधीक्षण यंत्री को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य अंभियंता, केन्द्रीयकृत निविदा इकाई, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

3. उक्त प्रभार सौंपे जाने के फलस्वरूप म.प्र.कार्य संहिता सन 1983 के अपेन्डिक्स 1.33 एवं म.प्र.बुक ऑफ फाइनेन्सियल पावर्स, 1995 तथा वित्त विभाग के ज्ञापन क. जी–17/1/952 /सी/चार दिनांक 8.3.1996 तथा मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स, 2012 की कण्डिका–1.12(1) के तहत द्वारा श्री शिरीष मिश्रा, अधीक्षण यंत्री, को मुख्य अंभियंता, केन्द्रीयकृत निविदा इकाई, कार्यालय प्रमुख अभियंता के पद के प्रभार में रहने की अवधि तक प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

26/4/18
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृ.कमांक एफ 3(बी)– 8 /2018/पी–1/इकतीस

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, म.प्र., ग्वालियर/भोपाल,
2. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मान.मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल,
3. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल,
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
5. संबंधित मुख्य अभियंता......................
6. कोषालय अधिकारी, जिला ....।
7. संबंधित अधिकारी.......................
8. वेब मेनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु,
9. स्टाक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

26/4/18
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग